न्यायालय समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा
उत्पाद अधिहरण वाद संख्या–92/2019
बिहार सरकार द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा बनाम कन्हैया कुमार झा

आदेश की कम संख्या और तारिख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित

27/08/2019

आदेश

प्रस्तुत उत्पाद वाद वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा के पत्रांक 386/मद्य नि0को0, दिनांक 22.04.2019 से प्राप्त घनश्यामपुर थाना कांड संख्या–165/18 दिनांक 29.10.2018 में बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 के अन्तर्गत जब्त वाहन मारूति भान पंजीयन सं0–**JH01R-6507** के अवैध शराब के चौर्य व्यापार एवं परिवहन में संलिप्त पाये जाने के कारण राज्यसात् करने हेतु अनुसंशा के आलोक में प्रारंभ की गयी। सामान्य अनुक्रम में विपक्षी वाहन स्वामी को कारण–पृच्छा हेतु सूचना निर्गत की गयी।

इसी क्रम में विपक्षी वाहन स्वामी की ओर से माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर सी0डब्लू0जे0सी0 नम्बर–9703/2019 में दिनांक 23.07.2019 को पारित आदेश की प्रति के साथ वाहन विमुक्ति हेतु बंध पत्र, शपथ पत्र तथा दो प्रतिभूति क्रमशः (1) श्रवण कुमार गारा, पिता–विश्वनाथ गारा, मुहल्ला–भगवान दास, जे0पी0 चौक, पो0–लालबाग, जिला–दरभंगा का वाहन पंजीयन सं0–BR07GA-5083 (बोलेरो पिकअप भान) कीमत बीमित मूल्य के अनुसार मो0–4,43,,800/- (चार लाख, तैंतालिस हजार आठ सौ) रुपये मात्र तथा (2) धर्मेश कुमार झा, पिता–रमण कुमार झा, ग्राम–सुपौल, थाना+पो0–बिरौल, जिला–दरभंगा का वाहन पंजीयन सं0–BR07PB-9030 (स्कॉर्पियो) कीमत बीमित मूल्य के अनुसार मो0–9,49,737/- (नौ लाख उन्चास हजार सात सौ सैंतीस) रुपये मात्र का दाखिल किया गया है। जब्त वाहन का बीमित मूल्य मो0–1,00,500/- (एक लाख पाँच सौ) रुपये मात्र है।

दाखिल सभी कागजात विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अभिप्रमाणित तथा विभागीय अधिवक्ता द्वारा सत्यापित है, जिसे सही पाकर स्वीकृत किया जाता है।

अतएव विपक्षी वाहन स्वामी द्वारा दाखिल कागजात तथा माननीय उच्च न्यायालय, पटना के सी0डब्लू0जे0सी0 नं0–9703/2019 में दिनांक 23.07.2019 को पारित आदेश के आलोक में घनश्यामपुर थाना कांड संख्या–165/18 दिनांक 29.10.2018 में जब्त मारूति भान पंजीयन सं0–**JH01R-6507** को विमुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

पारित आदेश की प्रति थानाध्यक्ष, घनश्यामपुर थाना को बंधपत्र आदि एवं माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश की छायाप्रति के साथ वाहन विमुक्ति हेतु अनुपालनार्थ भेजें। उन्हें निदेश दिया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के कंडिका (IV) में पारित

आदेश के आलोक में वाहन विमुक्ति के पूर्व फोटोग्राफी एवं पंचनामा तैयार कराकर रिकार्ड के रूप में सुरक्षित रखेंगे।

आदेश की प्रति अधीक्षक उत्पाद, दरभंगा को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजें।

आदेश की प्रति वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजे।

आदेश की प्रति आयुक्त उत्पाद, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजें।

उपर्युक्त विवेचना के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा।